केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
नई दिल्ली

अधिसूचना

दिनांक 12 नवम्बर, 2013

सं. एल–1/(5)/2013/केविविआ : केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत शक्तियों तथा इस निमित सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम 1999 (जिसे इसके पश्चात 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1. **सक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 2013 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **मूल विनियमों के विनियम 101 का संशोधन :** मूल विनियम के विनियम 101 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

"पुनर्विलोकन याचिकाओं से भिन्न याचिकाओं के निपटान के लिए समय–सीमा

101. टैरिफ याचिकाओं तथा अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदनों के संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 143 के संबंध में तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 143 के अधीन कार्यवाहियों की बाबत न्यायनिर्णयन अधिकारी नियम, 2004 द्वारा जांच करने की प्रक्रिया या पुनर्विलोकन याचिकाओं की बाबत इन विनियमों के विनियम 103 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, आयोग याचिकाओं को स्वीकार करने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अंतिम रूप से निपटाएगा :

पंरतु यह कि जहां याचिकाओं का छह मास के भीतर निपटान नहीं किया जाता है, वहां आयोग याचिकाओं के निपटान के लिए दिए गए समय हेतु कारणों को अभिलिखित करेगा।"

3. **विनियम 103 का संशोधन :** मूल विनियम के विनियम 103 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :

निर्णयों, निर्देशों और आदेशों का पुनर्विलोकन

"103.(1) आयोग, इस प्रकार के निर्णय, निर्देश या आदेश के 45 दिनों के भीतर किसी व्यक्ति या संबंधित पार्टी द्वारा आवेदन किए जाने पर इस प्रकार के निर्णय, निर्देशों या आदेशों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और ऐसे समुचित आदेश पारित कर सकेगा जैसा आयोग ठीक समझे।

2. ऐसे पुनर्विलोकन के लिए आवेदन को उसी रीति से फाइल किया जाएगा जैसा इन विनियमों के अध्याय II के अंतर्गत याचिकाओं में किया जाता है।

3. पुनर्विलोकन के लिए आवेदन को, ऐसे आवेदन को फाइल करने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर आयोग के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

4. यदि पुनर्विलोकन याचिका को स्वीकार नहीं किया जाता है तो उसे सुनवाई की तारीख से 15 दिनों के भीतर निपटाया जाएगा और यदि आवेदन को स्वीकार किया जाता है तो उसे स्वीकार करने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर निपटाया जाएगा :

परंतु यह कि जहां पुनर्विलोकन आवेदनों को यथाअनुबंधित समय के भीतर निपटाया नहीं जाता है वहां आयोग पुनर्विलोकन आवेदनों के निपटान हेतु लिए गए अतिरिक्त समय के कारणों को अभिलिखित करेगा।

4. नए विनियम का अंतःस्थापन : मूल विनियम के विनियम 103 के पश्चात्, एक नया नियम अंतःस्थापित किया जाएगा।

आदेशों का संशोधन

"103(क) आदेशों में लिपिकीय या गणितीय त्रुटियों या किसी आकस्मिक चूक से उद्भूत गलतियों को आयोग द्वारा किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर सुधारा जा सकेगा।"

हस्ता/–
(ए.के.सक्सेना)
प्रमुख (इंजीनियरिंग)

टिप्पण :

मूल विनियमों को तारीख 26.4.1999 को भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में अधिसूचित किया गया था और उनका समय–समय पर निम्नानुसार संशोधन किया गया था :

(i) इन विनियमों के शुद्धिपत्र को तारीख 31.5.1999 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था।

(ii) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) (प्रथम संशोधन), विनियम, 2000 तारीख 10.5.2000 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे।

(iii) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) (पहला संशोधन) विनियम, 2002 तारीख 9.12.2002 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे।

(iv) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) (पहला संशोधन) विनियम, 2009 तारीख 28.5.2009 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे।